संख्या327 xxvii(3)स0वे0/2005

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1)समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
(2)समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–3 देहरादून : दिनांक :23 अगस्त, 2005

विषय– समयमान वेतनमान की स्वीकृति से सम्बन्धित स्पष्टीकरण।

महोदय,

समयमान वेतनमान की स्वीकृति विषयक वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–166/दस–12(एम)/95, दिनांक 8 मार्च, 1995 के साथ पठित शासनादेश संख्या– वे0आ0–1–84/दस–12(एम)/95, दिनांक 5 फरवरी, 1997 तथा इस अनुभाग के शासनादेश संख्या– 1014/01वित्त/2001 दिनांक 12 मार्च,2001 के साथ पठित शासनादेश संख्या– 6011/वित्त स0 शा0/2001 दिनांक 22 जून,2001 संख्या 345/वि0अनु0–3/2001 दिनांक 22 अक्टूबर,2001एवंएवं संख्या 415xxvii(3)/2004 दिनांक 19 जूलाई, 2004 द्वारा लागू व्यवस्था के विषय में विभिन्न राज्य कर्मचारी संगठनों एवं प्रशासकीय विभागों से प्राप्त संदर्भों के माध्यम से शासन के संज्ञान में यह आया है कि समयमान वेतनमान की स्वीकृति के बारे में निर्गत उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित विभिन्न प्राविधानों के अधीन निर्णय लेने में वेतन निर्धारण/स्वीकर्ता अधिकारियों के स्तर पर कतिपय कठिनाईयॉ महसूस की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में समयमान वेतनमान की अनुमन्यता के विषय में प्राप्त विभिन्न सन्दर्भ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण संलग्न करते हुए अधोहस्ताक्षरी को आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सम्बन्धित कर्मचारियों को तदनुसार समयमान वेतनमान की स्वीकृति दी जाय और यदि इस विषय में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय
इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव

संख्या 34/xxvii(3)स0वे0/2005तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. सचिव,मा0 राज्यपाल,उत्तरांचल,देहरादून ।
2. रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय,नैनीताल,उत्तरांचल ।
3. समस्त अनुभाग,उत्तरांचल सचिवालय ।
4. इरला चेक अनुभाग/इरला चेक(वेतन पर्ची प्रकोष्ठ) ।
5.समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।
6.निदेशक सूचना,उत्तर प्रदेश,उत्तरांचल ।
7.निदेशक,एन0आई0सी0 देहरादून ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

समयमान वेतनमान की स्वीकृति से सम्बन्धित कतिपय प्राविधानों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

सन्दर्भ बिन्दु	स्पष्टीकरण
1– शासनादेश दिनांक 22 अक्टूबर,2001 के प्रस्तर–1(1) के सम्बन्ध में यह जिज्ञासा की गयी है कि ऐसे कर्मचारी जिन्हें दिनांक 1 मार्च, 1995 से पूर्व लागू व्यवस्थानुसार प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का 16 वर्षीय लाभ मिल चुका था यदि उनकी इस लाभ की तिथि से 3 वर्ष की सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा दिनांक 1 मार्च, 1995 से पहले पूरी हो जाती हो तो उन्हें 19 वर्षीय वेतनवृद्धि 19 वर्ष की वास्तविक सेवा पूर्ण होने की तिथि से देय होगी अथवा 19 वर्षीय लाभ की व्यवस्था के लागू होने के दिनांक अर्थात् 1 मार्च, 1995 से ?	19 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में भी एक वेतनवृद्धि अनुमन्य कराने की व्यवस्था शासनादेश दिनांक 8 मार्च, 1995 तथा 5 फरवरी, 1997 द्वारा दिनांक 01 मार्च, 1995 से प्रभावी की गयी है। अतएव प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में 19 वर्षीय वेतनवृद्धि का लाभ दिनांक 1 मार्च, 1995 से पूर्व अनुमन्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता।
2– शासनादेश दिनांक 22 अक्टूबर,2001 के प्रस्तर–2(क) मे सीधी भर्ती के पद के सापेक्ष द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनांक 1 मार्च 2000 क पूर्व देय न होने का प्रतिबन्ध लगाया गया है। जिन कार्मिकों को 16 वर्ष की सेवा पर वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनांक 1 जुलाई, 1988 को अनुमन्य हुआ है और उनकी 24 वर्ष की सेवा 1 जुलाई, 1996 अथवा दिनांक 1 मार्च, 2000 के पूर्व ही पूर्ण हो जाती है उन्हें यह लाभ कुल 24 वर्ष की सेवा पूर्व होने की वास्तविक तिथि से दिया जायगा या नहीं। दिनांक 1 मार्च 2000 के	सन्दर्भगत शासनादेश में द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान सीधी भर्ती क पद पर 24 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा, जिसमें 19 वर्षीय वेतनवृद्धि की तिथि से 5 वर्ष की सेवा भी सम्मिलित है, पर अनुमन्य कराने की व्यवस्था है। क्यों कि 19 वर्षीय वेतनवृद्धि का लाभ दिनांक 1 मार्च, 1995 के पूर्व देय नहीं है अतः 24 वर्ष की सेवा के आधार पर द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनांक 1 मार्च, 2000 के पूर्व किसी भी दशा में देय नहीं होगा।

क्रमशः–2–

पूर्व क्या यह लाभ अनुमन्य नहीं होगा ?

3– समयमान वेतनमान के अन्तर्गत प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में 19 वर्षीय वेतनवृद्धि स्वीकृत होने की तिथि से 5 वर्ष की सेवा सहित कुल 24 वर्ष की सेवा पर द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य कराने की व्यवस्था है। ऐसे मामलों में जहॉ समयमान वेतनमान व्यवस्था के अन्तर्गत 16/14 वर्ष के आधार पर प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होने के बाद सम्बन्धित कर्मचारी को उक्त वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँच जाने के कारण 19 वर्षीय वेतनवृद्धि का वास्तविक लाभ अनुमन्य कराया जाना सम्भव नहीं है। द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान किस प्रकार स्वीकृत किया जायगा ? क्या ऐसे मामलों में अन्य शर्तों की पूर्ति के बावजूद 24 वर्ष की सेवा पर उसे द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान महज इस आधार पर नहीं दिया जायेगा कि कर्मचारी को 19 वर्षीय वेतनवृद्धि का वास्तविक लाभ नहीं मिल सका है ?

16/14 वर्ष के आधार पर अनुमन्य प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के अधिकतम पर होने के कारण जिन कार्मिकों को 19 वर्षीय वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिल सका उन्हें सम्बन्धित पद पर 24 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा जिसमें 19 वर्षीय वेतनवृद्धि के लिए नियमानुसार अर्हता की तिथि से 5 वर्ष की सेवा सम्मिलित है, पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 1 मार्च, 2000 जो भी बाद में हो से द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराया जा सकता है।

4– किसी कर्मचारी/अधिकारी को द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होने के उपरान्त उसकी प्रथम पदोन्नति, वैयक्तिक रूप से अनुमन्य वेतनमान से निम्न वेतनमान वाले पद पर होने की दशा में प्रोन्नति के पद पर उसका

द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होने के उपरान्त यदि कर्मचारी/अधिकारी की पदोन्नति, वैयक्तिक रूप से अनुमन्य द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान से निम्न वेतनमान वाले पद (प्रथम पदोन्नति के पद) पर होती है तो प्रोन्नति के पद पर वह पूर्व से अनुमन्य अपने द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वैयक्तिक वेतनमान में ही बना रहेगा। क्यों कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमा

क्रमशः–3–

वेतन निर्धारण किस प्रकार किया जायगा ?

जो उसके पदोन्नति के पद के वेतनमान से उच्च है में पहले
ही वेतन पा रहा है ऐसी दशा में प्रथम प्रोन्नति के पद प
उसका कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा और उसे वह
उच्चतर वेतन/वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य रहेगा जो व
अपनी प्रोन्नति के पहले से प्राप्त कर रहा था।

5– शासनादेश दिनांक 22 मार्च,2001 के संलग्नक के प्रस्तर–1(1) में एक पद पर 8 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अनुमन्य कराने की व्यवस्था हैं। सम्बन्धित व्यवस्था में एक पद का आशय क्या है ? क्या दो विभागों में उपलब्ध समान पदनाम तथा वेतनमान वाले पद यथा चपरासी, ड्राइवर तथा टंकक आदि को समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु एक पद माना जायेगा? तदनुसार क्या समान पदनाम तथा वेतनमान वाले पदों पर अलग–अलग विभागों में की गई सेवा को समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु गणना में लिया जायेगा ? इसी प्रकार क्या एक ही विभाग में भिन्न–भिन्न पदनामों से उपलब्ध समान वेतनमान वाले पदों यथा सहायक लेखाकार/वरिष्ठ लिपिक तथा लेखाकार/कार्यालय अधीक्षक पर की गई सेवा को समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु गणना में लिया जायेगा ?

शासनादेश के संलग्नक के प्रश्नगत प्रस्तर–1(1)
उल्लिखित वाक्यांश 'एक पद' का आशय किसी एक विभाग
संवर्ग विशेष में स्वीकृत/उपलब्ध ऐसे पद से है जिस प
सम्बन्धित कार्मिक को उस संवर्ग की सेवा नियमावली
अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो। ऐस
स्थिति में समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु एक ह
पदनाम अथवा समान वेतनमान वाले पद पर दो विभागों में क
गई सेवा को गणना में नहीं लिया जायेगा। एक ही विभाग
समान वेतनमान में विभिन्न पदों पर की गई सेवा का जहाँ तक
सम्बन्ध है, यदि ऐसे पद एक ही संवर्ग के हैं/आपस
स्थानान्तरणीय हैं/वरिष्ठता सूची एक हो, तो सम्बन्धित पदों प
की गई सेवा को समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु गणन
में लिया जायेगा अन्यथा एक ही विभाग में समान वेतनमान
भिन्न–भिन्न पदों पर की गई सेवा को गणना में नहीं लिय
जायेगा।

क्रमशः–4–

6.पदोन्नति का पद योग्यता पर आधारित होने पर समयमान वेतनमान की अनुमन्यता कैसे होगी ?

समयमान वेतनमान व्यवस्था के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान की अनुमन्यता हेतु किसी पदधारक के लि प्रोन्नतीय पद का आशय उस पद से है जिस पर सेव नियमावली अथवा कार्यकारी आदेशों के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी की प्रोन्नति वरिष्ठता–कम–उपयुक्तता के आधार प की जाती हो। ऐसी सिंति में जिन पदों पर पदोन्नति क व्यवस्था वरिष्ठता–कम–उपयुक्तता के साथ ही साथ योग्यता/उच्च अर्हता/मेरिट के आधार पर हो, वे प समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु पदोन्नतीय पद नहीं मा जायेंगे। ऐसे मामलों में अन्य शर्तों की पूर्ति की दशा में अगल उच्चतर वेतनमान जैसा कि शासनादेश दिनांक 12 मार्च,200 के संलग्नक प्रस्तर–4(1) में स्पष्ट किया गया है, देय होगा।

7– समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान अनुमन्य होने के उपरान्त वास्तविक पदोन्नति होने पर प्रोन्नति पर जाने से इंकार करने वालों को समयमान वेतनमान की अनुमन्यता क्या होगी ?

समयमान वेतनमान की व्यवस्था किसी कर्मचारी को सेव में वृद्धिरोध (stagnation) से बचाने के लिए उसे उसकी सम्पूर्ण सेवावधि में निर्धारित शर्तों के अधीन दो पदोन्नतियों क समतुल्य वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमानों का लाभ अनुमन्य कराने के उद्देश्य से की गई है। अतएव वास्तविक पदोन्नति होने प प्रोन्नति के पद पर जाने से इंकार करने वाले कर्मचारी क मामले में सेवा में वृद्धिरोध नहीं माना जा सकता है। पदोन्नति पर जाने से इंकार करने के कारण सम्बन्धित कर्मचारी समयमान वेतनमान व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य लाभों का पात्र नहीं रह जाता, अतएव समयमान वेतनमान व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्व में उसे अनुमन्य कराये गये लाभ पदोन्नति की तिथि से देय नहीं होंगे।

8– सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुति की स्थितियों में पैतृक विभाग के पद के सन्दर्भ में समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ पैतृक विभाग द्वारा, पद के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा अथवा स्थानान्तरण /प्रतिनियुक्ति पर धारित पद के अधिष्ठान अधिकारी द्वारा ?

सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की स्थिति में पैतृक विभाग के पद के सन्दर्भ मे समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ का आदेश पदधारक के पैतृक विभाग के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ही किया जायेगा।

9– आशुलिपिक के पद (रू0 4000–6000) हेतु विभाग में प्रोन्नति का पद उपलब्ध न होने पर वैयक्तिक वेतनमान के रूप में

आशुलिपिक संवर्ग में समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु प्रथम/द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का निर्धारण विभाग में उपलब्ध पदों/सेवा नियमावली की व्यवस्था अथवा वेतनमान सूची में उपलब्ध अगले वेतनमान

क्रमशः–5–

वेतनमान सूची के अनुसार अगला वेतनमान रू0 4500–7000 देय होगा अथवा आशुलिपिक संवर्ग हेतु निर्धारित ढॉचे में उपलब्ध अगले पद का वेतनमान रू0 5000–8000 देय होगा।

के आधार पर नहीं किया जाना है। आशुलिपिक संवर्ग के प पर समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगल वेतनमान के रूप में आशुलिपिक संवर्ग के लिए निर्धारि सामान्य ढॉचे में उपलब्ध अगले पद का वेतनमान अनुमन्य होगा।

10.विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा यह जिज्ञासा की जा रही है कि चर्तुथ श्रेणी के पद वेतनमान कमशः रू0 2550–3200, रू0 2610–3540, रू02650–4000 एवं रू02750–4400 के लिए 14 एवं 24 वर्ष की सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान की क्या व्यवस्था होगी ।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि रू 2550–3200 के वेतनमान में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिक जिनके लिए पदोन्नति का कोई पद उपलब्ध नही है उनके लि 14 एवं 24 वर्ष की सेवा पर कमशः रू0 2610–3540 एवं रू0 2750–4400 का, रू0 2610–3540 के वेतनमान में नियुक्त कार्मिकों को 14 एव 24 वर्ष में कमशः रू0 2750–4400 एवं रू 3200–4900 का एवं रू0 2750–4400 के वेतनमान में नियुक्त कार्मिकों को 14 वर्ष में रू0 3200–4900 एवं 24 वर्ष में रू 4000–6000 के वेतनमान का समयमान वेतनमान अनुमन्य होगा । जिन पदों के लिए पदोन्नति का पद उपलब्ध है वह तदनुसार सेवानियमों के अनुसार समयमान वेतनमान की अनुमन्यता होगी । समयमान वेतनमान की अनुमन्यता की अन्य शर्तें शासनादेश दिनांक 22 मार्च,2001 के अनुसार यथावत रहेगी ।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव